

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 4491/2026**

गुलशन कुमार

.....प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव,
गृह विभाग, लखनऊ

.....विपक्षी (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता

: आशुतोष सिंह

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: शा.अ.

न्यायालय संख्या - 12**माननीय न्यायमूर्ति, श्री प्रकाश सिंह**

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अ. को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रार्थी की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर मुकदमा अपराध संख्या 07/2026, अंतर्गत धारा 87, 137(2) भा.न्या.सं., थाना कोहड़ौर, जिला प्रतापगढ़ आरोप में दौरान परीक्षण जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका यह भी निवेदन है कि कथित पीड़िता स्वयं प्रार्थी के साथ गई थी और इस मामले में भा.न्या.सं. की धारा 87 और 137(2) लागू नहीं होती हैं। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान भा.ना.सु.सं. की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान की ओर दिलाया है और कहा है कि पीड़िता का बयान अभियोजन पक्ष की कहानी को गलत साबित करता है क्योंकि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वह अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं करती है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 22.04.2026 से जेल में बंद है; साथ ही, वह वचन देता है कि अगर उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा और परीक्षण की कार्यवाही में सहयोग करेगा। इसलिए, प्रार्थना है कि प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाए।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अ.शा.अ. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करने और अभिलेख के अवलोकन से यह साफ़ है कि भा.ना.सु.सं. की धारा 183 के तहत दर्ज बयान में पीड़िता ने कहा है कि वह स्वयं प्रार्थी के साथ गई थी; यह बयान अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं करता है; प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 22.04.2026 से जेल में निरुद्ध है; और उसने वचन दिया है कि अगर उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा और परीक्षण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों, आरोपों की प्रकृति, दोषी पाए जाने पर मिलने वाली सज़ा की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, आरोपों के समर्थन में न्यायालय की शुरुआती संतुष्टि, सज़ा के सुधारात्मक सिद्धांत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला मानता हूँ।

उपरोक्त अपराध में शामिल प्रार्थी **गुलशन कुमार** को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार पेश करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करे:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. प्रार्थी विवेचना या परीक्षण के दौरान साक्षियों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. प्रार्थी को यह वचन देना होगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथियों पर सुनवाई स्थगन की मांग नहीं करेगा। उसे नियत प्रत्येक तिथि पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के ज़रिए उपस्थित रहना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस कारण के उपस्थित नहीं रहता है, तो परीक्षण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है।
3. प्रार्थी को (i) वाद शुरू करने, (ii) आरोप निर्धारित करने और (iii) धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहना होगा; और
4. अगर प्रार्थी परीक्षण के दौरान ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, और उसकी उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और प्रार्थी उस उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो परीक्षण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के तहत विधि अनुरूप उसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू करेगा।

संबंधित न्यायालय प्रतिभुओं की पहचान, हैसियत और रिहायशी पते के साक्ष्य की जांच करेगी। अगर ऊपर बताई गई शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो अवर न्यायालय के पास ज़मानत रद्द करने और प्रार्थी को जेल भेजने का अधिकार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल इस ज़मानत प्रार्थना के निस्तारण तक ही सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर किसी भी तरह का असर डालने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति, श्री प्रकाश सिंह)

25 जून 2026

आरती/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।